जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित
लॉस रिडक्सन कार्य में कोताही बर्दास्त नही होगी
कार्य में लापरवाही बरतने पर फीडर मैनेजर निलम्बित

जयपुर, 26 नवम्बर। विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्रीमत पाण्डेय ने कहा कि लॉस रिडक्सन प्रोग्राम सहित फील्ड में चल रही विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन में कोताही बर्दास्त नही की जाएगी। इसके लिए कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक सामान की पूर्ति निगम द्वारा की जाएगी। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण सवाईमाधोपुर–एटीवीस के फीडर मैनेजर अशोक कुमार मीणा को निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में लॉस रिडक्सन के लिए प्रथम चरण में चयनित फीडरों पर सुधार का कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण होना चाहिए एवं शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य होना चाहिए।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री श्रीमत् पाण्डे शनिवार को विद्युत भवन में आयोजित जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा, निदेशक तकनीकी श्री सुनील मेहता, संभागीय मुख्य अभियन्ता, सचिव प्रशासन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता एवं सभी सर्किलों के अधीक्षण अभियन्ता उपस्थित रहे। डिस्कॉम अध्यक्ष ने सर्किलवार अधीक्षण अभियन्ताओं से लॉस रिडक्सन कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सर्किल अधीक्षण अभियन्ताओं से गत वर्ष के अक्टूबर माह की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर माह में एटीएण्डसी लॉस में हुई कमी के बारें में किए गए प्रयासों की जानकारी प्राप्त की एवं कहा कि आगे भी लगातार प्रयास जारी रखें ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

श्री पाण्डे ने विजीलेन्स जांच कार्यवाही की जानकारी लेते हुए कहा कि दो वर्ष से अधिक पुरानी वीसीआर के निस्तारण के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए तथा बिजली चोरी के प्रत्येक मामले में कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक अनिल कुमार बोहरा ने विभिन्न योजनाओं की वृत्तवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 नवम्बर तक अवैध ट्रांसफार्मर की सूची उपलब्ध करवा दी जाए, जिससे कि दिसम्बर माह तक इनको डिस्कॉम के सिस्टम से हटा दिया जाए। ब्लॉक सप्लाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए एवं इसकी प्रभावी मानिटरिंग की जाए तथा निर्धारित ब्लॉक के अनुसार विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जो भी इसका उल्लघन करने के लिए उत्तरदाई हो उसे तुरन्त निलम्बित किया जाए। उन्होंने कहा कि खराब मीटरों को बदलने के कार्य को दिसम्बर, 2016 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए अन्यथा जवाबदेही निर्धारित कर दी जाएगी। इसके साथ ही नए खराब मीटर्स की संख्या में भी कमी लाई जानी चाहिए।

श्री बोहरा ने लॉस रिडक्शन कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह कार्य दिसम्बर, 16 तक पूरा करने के लिए प्लान के अनुसार कार्य करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जाए। दूसरे चरण के फीडरों पर फीडर इन्चार्ज की नियुक्ति, सर्वे का कार्य व कार्य आदेश दिसम्बर, 16 तक जारी कर दिए जाए, जिससे इन फीडरों पर भी जनवरी, 2017 से सुधार कार्य शुरु हो सके। नए कृषि कनेक्शन के लिए जिनके मांग पत्र जमा हो गए हैं उनको 28 फरवरी, 2017 तक कनेक्शन जारी कर दिए जाने चाहिए। सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना, एमनेस्टी योजना, स्वैच्छि भार वृद्धि घोषणा योजना आदि के बारे में सर्किल अभियन्ताओं से विस्तार से चर्चा की एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 488/2016